

महाप्रबंधक (विपणन और विक्रय) का कार्यालय

PO: जागृति विहार,संबलप्र -768020, उड़ीसा

पीबीएक्स संखया.- 0663-2542461-69,फेक्स संखया: 0663-2542307,

देलीफोन संखया.: 0663 - 2542870 (O) / 2542359 (O)

ईमेल आईडी : cgmsm_mcl@rediffmail.com, cgmsm_mcl@yahoo.co.in

No: एमसीएल/एसबीपी/जीएम(एमएंडएस)/2018/ 04

दि.02.04.2018

नोटिस

विषय :- जीएसटी कानून के तहत कोयले की आपूर्ति के मामले में ई-वे विधेयक के प्रयोज्यता के बारे में स्पष्टीकरण Sub: Clarification regarding the applicability of E-way bill in case of coal supply under GST Law.

As per Rule 138 of the CGST Rules, 2017, the registered person who causes movement of goods of consignment value exceeding Rs 50,000/- would be required to issue E-Way bill. In case of coal supply,MCL is actually not causing movement of goods. The buyer is required to arrange for transport of coal from MCL's premises to the destination place. Hence in this case, there is no obligation on the part of MCL to issue E-Way bill.

For facilating generation of E-way bills by the consignee in respect of Rail sales, copies of the following documents have to be provided to the consignee immediately after loading & weighment of rakes:-

1) Copy of the forwarding note

2) Copy of EPS

In case of road sale trucks are already moving with proper weighment, TP and challan is to be provided by the Area to the purchaser for the generating of E-way bill by them at loading point. Consumers are therefore requested to depute their authorized representatives at the time of loading for collection of the same from their respective concern loading point(s). This is issued for kind information to all consumers

सीजीएसटी नियमों, 2017 के नियम 138 के अनुसार, पंजीकृत व्यक्ति जो माल के सामानों की आवाजाही का कारण बनता है जिसका मूल्य 50000/- रुपये से अधिक है, को ई-वे बिल बनाने की आवश्यकता होती है, जो कोयला बिक्री के मामले में मालवाहक है।कोयले की आपूर्ति के मामले में, एमसीएल वास्तव में वस्तुओं का वास्तविक प्रेषण नहीं कर रहा।खरीदार को एमसीएल के परिसर से गंतव्य स्थान तक कोयले के परिवहन की व्यवस्था करने की आवश्यकता है।इसलिए इस मामले में एमसीएल की ओर से ई-वे बिल जारी करने का कोई दायित्व नहीं है।

रेल बिक्री के संबंध में पारिश्रमिक द्वारा ई-वे बिल बनाने में सुविधा देने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां लदान और वजन के तुरंत बाद मालवाहक को प्रदान की जानी चाहिए रैक की:-

1) अग्रेषण नोट की प्रतिलिपि

2) ईपीएस की प्रतिलिपि

सड़क बिक्री ट्रक के मामले में पहले से ही सही वजन में बढ़ रहे हैं और टीपी i3ms द्वार के माध्यम से उत्पन्न, कोयला-नेट सिस्टम के माध्यम से चालान, खरीदार को उनके द्वारा उत्पन्न ई-वे बिल के लिए क्षेत्र द्वारा प्रदान किया जाता है। इसलिए उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित प्रतिनिधियों को अपने संबंधित लोडिंग स्थान से(टीपी तथा चालान एकत्र करने के लिए लदान के समय में नियुक्त करेंहै।

यह सभी उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए जारी किया गया है।

शाजेश भिशा २/०५/18 विभागाध्यक्ष(विपणन और विक्रय)

1.निदेशक(तकनीकी), एमसीएल - प्रतिलिपि जानकारी के लिए प्रतिलिपि:

- तकनीकी सचिव सी एम डी, एमसीएल
- सभी क्षेत्रीय महाप्रबंधक), एमसीएल ii.
- महाप्रबंधक (ग्णवत्ता नियंत्रण), एमसीएल
- महाप्रबंधक (वित्त), एमसीएल
- महाप्रबंधक (प्रणाली) वेबसाइटों पर अपलोड के लिए
- vi. रेसिडेंट एक्जीक्यूटिव, बिलासप्र
- बिक्री प्रबंधक, एमसीएल vii. सभी क्षेत्रीय
- सभी क्षेत्रीय वित्त प्रबंधक, एमसीएल

Note: Incase of any discrepancies, matter written in English language may be treated as final.